मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2013 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों में त्वरित निष्पादनार्थ आहुत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। इसमें अपने विभाग स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई करना आवश्यक है।

2. समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव, बिहार ने निदेश दिया कि ग्रामीण विकास विभाग में लम्बित 11 अवमाननावाद में 4 सप्ताह के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दायर कर दें। सचिव, ग्रामीण विकास विभाग श्री अमृत लाल मीणा द्वारा कहा गया कि कुल 11 लम्बित मामलों में 3 में S.O.F. दायर हो चुका है तथा शेष 8 मामलें में निर्धारित समय सीमा (4 सप्ताह) के अन्दर S.O.F. दायर कर दिया जायेगा।

3. इसी तरह नगर विकास एवं आवास विभाग में 199 अवमाननावाद लम्बित रहने पर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग श्री एस0 सिद्धार्थ द्वारा कहा गया कि सभी मामले Urban Local Body से संबंधित है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अगर विभाग Proforma Party हैं, तो एक Short C/A न्यायालय में दायर करें कि मुख्य प्रतिवादी Local Body है।

4. पथ निर्माण विभाग में 27 अवमाननावाद लम्बित रहने के संबंध में मुख्य सचिव को सचिव श्री प्रत्यय अमृत द्वारा बताया गया कि अधिकांश मामले क्षेत्रीय स्तर से संबंधित है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी मामलों में 4 सप्ताह के अन्दर प्रतिशपथ-पत्र निश्चित रूप से दायर किया जाय तथा क्षेत्रीय कार्यालय को निदेश दें कि वे तीन दिनों के अन्दर विषय वस्तु से विभाग को अवगत करायें।

5. समाज कल्याण विभाग में 10 अवमाननावाद लम्बित रहने पर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि सभी मामलों में 4 सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से प्रतिशपथ-पत्र दायर करें।

6. शिक्षा विभाग में 505 अवमाननावाद लम्बित रहने पर मुख्य सचिव द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई तथा निदेश दिया गया कि त्वरित कार्रवाई की जाय। प्रधान सचिव, श्री

अमरजीत सिन्हा द्वारा मुख्य सचिव को आश्वासन दिया गया कि सभी में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पूर्व बैठक में दो अधिवक्ता को शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया था लेकिन अभी तक अधिवक्ता की प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकी है। मुख्य सचिव द्वारा सचिव, विधि विभाग को निदेशित किया गया कि शिक्षा विभाग में दो अधिवक्ता की प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई की जाय।

7. अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामले को 4 सप्ताह के अन्दर, तथा शिक्षा विभाग को 8 सप्ताह के अन्दर सभी में शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगले बैठक में इसकी सूचना से अवगत करायेंगे। समीक्षात्मक बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में निदेशित किया गया था लेकिन अधिकांश विभाग द्वारा बैठक के दिन या एक दिन पूर्व विधि विभाग को अधूरा प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित समय एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं मिलने पर मुख्य सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में बैठक के तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अतः अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/.....जे0 पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/6295 जे0 पटना, दिनांक-23.08.13

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।